रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 1970/भाद्र 30, 1892

No. 163] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 1970/BHADRA 30, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 21st September 1970

G.S.R. 1717.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the Notification No. 184-Customs dated the 12th August, 1957, of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue).

[No. 89/F. No. 5/2/70-Cus. IV.]

J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 21 सितम्बर 1970

जी० एस० आर० 1717.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 184-सीमा शुल्क तारीख 12 अगस्त, 1957, को विखण्डित करती है ।

[सं० 89/एफ० सं० 5/2/70-सी०शु० IV]

ज्योतिर्मय दत्त, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970